सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
चैत्र 18, गुरूवार, *शाके* 1943–अप्रेल 8, 2021 *Chaitra 18, Thursday, Saka 1943- April 8, 2021*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2)विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 01, 2021

संख्या प.10(216)कृषि/ग्रुप-2/1974:-राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प. (216)कृषि/ग्रुप-2/दिनांक 01.07.2016 द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, प्रतापगढ का क्षेत्र घोषित किया था। अब चुंकि कृषि उपज मण्डी समिति, प्रतापगढ के मण्डी क्षेत्र नगर परिषद् प्रतापगढ के ग्राम बगवास में लहसून-प्याज एवं फल सब्जी गौण मण्डी बगवास घोषित करने का निर्णय लिया है।

अतः राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार नगर परिषद प्रतापगढ के ग्राम बगवास में लहसून-प्याज एवं फल-सब्जी गौण मण्डी यार्ड स्थापित करने की घोषणा करती है। जिसकी सीमाऐं निम्नानुसार होगीः-

पूर्व में	राष्ट्रीय राज मार्ग 113 (बगवास से धरियावाद नाका तक)
पश्चिम में	राजस्व ग्राम मनावला, ग्राम पंचायत लोहारिया
उत्तर में	राजस्व ग्राम बमोत्तर, ग्राम पंचायत अमलावद
दक्षिण में	धरियावद नाका से जिला कलक्टर कार्यालय तक (धरियावद प्रतापगढ रोड)

तथा इन सीमाओं के अन्दर समस्त निर्मित भवन, दुकानें एवं भू-भाग आदि सम्मिलित होंगे।

पुनः उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राजस्थान सरकार विज्ञप्ति करती है कि इस मण्डी क्षेत्र में उपरोक्त मुख्य मण्डी यार्ड की सीमाओं से लेकर नगर परिषद् प्रतापगढ़ के ग्राम बगवास के वार्ड संख्या 02 एवं 03 की वर्तमान सीमाओं तक कोई स्थानीय अधिकारी किसी विधि के अर्न्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी और कोई अन्य व्यक्ति इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख पर या पश्चात उपरोक्त मण्डी क्षेत्र के लिए विज्ञप्त किसी भी कृषि उपज के क्रय-विक्रय के लिए कोई स्थान नही जमायेगा, स्थापित करेगा या कायम रखे जाने की अनुमति नही देगा।

आगे राज्य सरकार घोषणा करती है कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत लहसून-प्याज एवं फल-सब्जी गौण मण्डी प्रांगण बगवास की सीमाओं को छोड़कर

उपरोक्तानुसार नगर परिषद प्रतापगढ़ के ग्राम बगवास का वार्ड संख्या 02 एवं 03 का सम्पूर्ण क्षेत्र ''मार्केट प्रोपर'' होगा। जैसा कि राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड-10 के अन्तर्गत परिभाषित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
बृज गुप्ता,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।